सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 मार्च, 2020 को समाप्त छमाही / वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त छमाही	पिछले वर्ष 31.03.2019 को समाप्त तदनुरूपी छमाही	31-03-2020 को समाप्त चालू अवधि के लिए वर्षांत आँकड़े	31-03-2019 को समाप्त पिछला लेखावर्ष
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**5705**	**5242**	**11021**	**9482**
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	5291	4960	10392	9128
(ख) निवेशों पर आय	12	31	26	53
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	402	251	603	301
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	246	217	698	434
3. कुल आय (1+2)	**5951**	**5459**	**11719**	**9916**
4. ब्याज व्यय	3960	3796	7722	6903
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**304**	**266**	**607**	**512**
(i) कर्मचारी लागत	201	185	393	369
(ii) अन्य परिचालन व्यय	103	81	214	143
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**4264**	**4062**	**8329**	**7415**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**1687**	**1397**	**3390**	**2501**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल)	162	(55)	953	(2)
9. असाधारण मदें	-	-	371	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8+9)	**1525**	**1452**	**2808**	**2503**
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात निवल]	196	392	493	551
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+) / हानि (-) (10-11)	**1329**	**1060**	**2315**	**1952**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	**1329**	**1060**	**2315**	**1952**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	532	532	532	532
16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	18175	15863	18175	15863
17. विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	26.62%	27.11%	26.62%	27.11%
(ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	24.98	19.92	43.51	36.70
18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात				
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	1040.84	867.91	1040.84	867.91
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	658.64	292.54	658.64	292.54
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.63	0.63	0.63	0.63
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.40	0.21	0.40	0.21
च) आस्तियों वार्षिकीकृत पर प्रतिफल (कर पश्चात)	1.36%	1.43%	1.36%	1.43%

टिप्पणियाँ:

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।

2) निदेशक मंडल द्वारा 15 मई, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।

3) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' चल प्रावधान, निवेश मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान आदि के प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान है।

4) भा.रि.बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान वर्षांत पर किए गए हैं।

5) एएस 22 के अनुसार बैंक ने मानक आस्तियों के सम्पूर्ण प्रावधान पर अपनी गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) का फिर से आकलन किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹96 करोड़ के डीटीए को मान्यता दी गई है।

6) असाधारण मद, उन एफसी अंतरण समायोजन खाते में पड़े हुए ₹371 करोड़ की अतिरिक्त देयता / प्रावधान को दर्शाती है, जिसे पुनरांकित किया गया है क्योंकि इसे अब बही में बनाए रखने की अपेक्षा नहीं है।

7) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप, गैर-निष्पादक आस्ति हेतु विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹248.57 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।

8) भारतीय रिज़र्व बैंक के 27 मार्च, 2020 के परिपत्र के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को ऋण किस्तों / देय ब्याज के अधिस्थगन की पेशकश की। तदनुसार, 17 अप्रैल, 2020 के आरबीआई के परिपत्र के संदर्भ में, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.99 करोड़ का एक सामान्य प्रावधान किया है।

9) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

10) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति : यथा 01 जनवरी, 2020 को 1 शिकायत लंबित थी। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 7 शिकायतें प्राप्त हुई और 8 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 31 मार्च, 2020 को कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।

11) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

12) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआईज के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

13) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणाम विधिवत लेखापरीक्षित हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(मोहम्मद मुस्तफा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 15 मई, 2020

स्थान : नई दिल्ली

SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : **www.sidbi.in** देखें।

@sidbiofficial